



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

20 पौष, 1946 (श०)

संख्या - 27 राँची, शुक्रवार,

10 जनवरी, 2025 (ई०)

परिवहन विभाग

अधिसूचना

9 अक्टूबर, 2024

संख्या-02/परि.आ.(VSP)-08/2021-1342--पुराने मॉडल और अनफिट तथा विनिर्दिष्ट मानकों से अधिक प्रदूषण उत्सर्जित करने वाले मोटरवाहनों को प्रतिस्थापित किए जाने के उद्देश्य से सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के अधिसूचना सं-653(अ), दिनांक-23.09.2021 के द्वारा मोटरयान (यान स्क्रेपिंग सुविधा का रजिस्ट्रेशन और कार्य) नियम, 2021 एवं अधिसूचना सं-695 (ई), दिनांक-13.09.2022 के द्वारा मोटरयान (यान स्क्रेपिंग सुविधा का रजिस्ट्रेशन और कार्यसंशोधन) नियम, 2022 अधिसूचित किया गया है।

2. वाहनस्वामियों को पुराने वाहन स्क्रेप करने हेतु प्रोत्साहित किए जाने के उद्देश्य से झारखण्ड मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 2001 की धारा 15 (1) के तहत राज्य सरकार को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रजिस्ट्रीकृत वाहन स्क्रेपिंग केन्द्र (RVSE) में स्क्रेप किए जाने हेतु प्रस्तुत किये गये वाहन या वाहनों के बकाया पथकर एवं तदजनित अर्थदण्ड (Penalty) में 50%

(पचास प्रतिशत) छूट प्रदान की जायेगी, जो कि एतदर्थ अधिसूचना राज्य में रजिस्ट्रीकृत वाहन स्कैपिंग केन्द्र (RVSF) को अनुज्ञप्ति निर्गत किये जाने की तिथि से मात्र एक वर्ष के लिए लागू रहेगा।

3. यह अधिसूचना मंत्रिपरिषद् की दिनांक-27.09.2024 को सम्पन्न बैठक में प्रदत्त अनुमोदन (मद संख्या-31) के आलोक में निर्गत किया गया है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

कृपा नन्द झा,
सरकार के सचिव
परिवहन विभाग।
